

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥ खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड  
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली दिनांक 10 जूलाई, 2017

19 आषाढ़, 1993 शक

सा.का.नि. ( ) अ:- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 16/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 07 जून, 2017 जिसे सा.का.नि 848 (अ), 07 जूलाई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥ खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में-

पंक्ति 6 में "पैरा 5" के स्थान पर "पैरा 3.20 और 3.21" पढ़े।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

(डा श्रीपार्वती एस.एल.)  
अवर सचिव, भारत सरकार